न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–3, जोधपुर महानगर।

पीठासीन अधिकारी :– राजकुमार चौहान, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) फौजदारी अपील संख्या : 152/2025
एन.सी.वी. नंबर : 152/2025

अपीलार्थी :–

1– प्रेमसिंह पुत्र भॅवरलाल, निवासी नीलकण्ठ महादेव नगर,
निम्बा निबडी, मण्डोर, वार्ड नम्बर 57 पीएस मण्डोर, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1– राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक

———

फौजदारी अपील याचिका अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.03.2025 जो कि श्री राजीव जांगिड आर.जे.एस न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–8, जोधपुर महानगर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 659/2021 (एन.सी.वी नम्बर 194/2016) बअनवान राज्य बनाम प्रेमसिंह अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पारित किया गया।

उपस्थित :–
1– श्री बन्धुप्रकाश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता : अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अपर लोक अभियोजक, : रेस्पोडेन्ट–राज्य की ओर से।

//निर्णय// **दिनांक :– 13.06.2026**

1– उक्त फौजदारी अपील अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह की ओर से विद्वान अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–8, जोधपुर महानगर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 659/21 (एन.सी.वी नम्बर 194/2016) बअनवान राजस्थान राज्य बनाम प्रेमसिंह में पारित आलौच्य निर्णय व दंडादेश दिनांक 03.03.2025 के विरुद्ध श्रीमान सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के न्यायालय में दिनांक 15.03.2025 को पेश की गयी, जहां से उक्त अपील अंतरित होकर विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

2– आलौच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर

अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया व धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत 800/– रूपये अभियोजन व्यय के अधिरोपित किये गये।

3– इस दाण्डिक अपील के संक्षिप्त तथ्य, जिनके कारण यह व्युत्पन्न हुई, इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2015 को नरपतसिंह जमादार, आबकारी निरोधक दल जोधपुर शहर पूर्व मय जाप्ता रोड गश्त करते हुए नीलकण्ठ महादेव नगर निम्बा निम्बडी, पुलिस थाना मण्डोर जोधपुर पहुॅचे तो सामने रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में दो प्लास्टिक बोतले भरी सी लिये आता नजर आया, जो बावर्दी जाप्ता व अनुबंधित वाहन को देखकर प्लास्टिक बोतलों को जमीन पर ही रखकर वापिस मुडकर भाग गया, जिसका पीछा किया, मगर हाथ नहीं आया, आस पास के मकानों में रूहपोश हो गया। भागने वाले व्यक्ति की पहचान जाप्ते में से दयाराम सिपाही ने प्रेमसिंह के रूप में की। जमीन पर रखी प्लास्टिक की बोतलों को लेकर चैक किया तो नाजायज हथकड शराब भरी बरामद हुई, आदि तथ्यों के रिपोर्ट पर आबकारी निरोधक दल जोधपुर शहर पूर्व द्वारा प्रकरण संख्या 47/2015 अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया व बाद अनुसंधान अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया व साक्ष्य अभियोजन में पी.डब्ल्यू–1 जगदीशराम लगायत पी. डब्ल्यू–6 कैलाशदान के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी–1 लगायत प्रदर्शपी–08 प्रदर्शित करवाये गये। अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अपीलार्थी–अभियुक्त ने निर्दोष होने व झूठा फॅसाया जाने का कथन करते हुए

प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

5– तत्पश्चात बहस अन्तिम सुनने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर उपरोक्तानुसार दण्डित किया गया, जिस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह द्वारा यह दाण्डिक अपील संस्थित की गई है।

6– बहस उपस्थित पक्ष की सुनी गई व विचारण न्यायालय के अभिलेख, आलौच्य निर्णय, दण्डादेश व इस न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

7– दौराने बहस अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में उठाये गये तकों की पुनरावृति करते हुए र्क प्रस्तुत किये कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को पढा है और न ही समझा है। विचारण न्यायालय में लिंक साक्ष्य पूर्ण नहीं हुई है। स्वतन्त्र साक्षी के बयान नहीं करवाये गये है और न ही स्वतन्त्र मौतबिर बनने बाबत कोई नोटिस ही दिया है। उन्होने यह भी तर्क दिया है कि बरामद शराब के पव्वों की नमूने की शराब की कोई फोटोप्रति नहीं ली है और न ही उस पर सील व मोहर को अदालत के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाई है। फर्द जब्ती शराब पर कोई मार्क अंकित नहीं किया है और न ही माल को न्यायालय के समक्ष आर्टिकल्स लगाये है। गवाहान के बयानों में भी विरोधाभास है, सेम्पल पव्वे के रूप में भेजे या बोतलों के रूप में, इस बाबत भी गवाहान विरोधाभासी कथन कर रहे है। मालखाना रजिस्टर न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। उन्होने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि बरामदगी साबित नहीं है, क्योंकि बरामदगी वाला स्थल खुली जगह है और बरामदगी के किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे अपना

मामला साबित नहीं कर पाया है। अतः अपील अपीलार्थी–अभियुक्त स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2025 को अपास्त किया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

8– विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त के तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिये है कि अपीलार्थी द्वारा उठाये गये आक्षेप सारहीन प्रकृति के है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

9– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

10– **हमें यह देखना है कि अपीलाधीन निर्णय व दण्डादेश पारित करने में विद्वान् विचारण न्यायालय ने कोई गंभीर विधिक व तथ्यात्मक भूल की है, जिसके परिणामस्वरुप अपीलाधीन निर्णय व दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है ?**

11– उभय पक्षों के तर्को पर मनन करने व विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण हाजा अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय में जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें अभियोजन की ओर से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–3 नरपतसिंह व फर्द जब्ती शराब हथकड प्रदर्शपी–1 के मौतबिर पी.डब्ल्यू–1 जगदीशराम व पी.डब्लयू–2 दयाराम सिपाही को परीक्षित करवाया है। जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–2 नरपतसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि भागने वाले व्यक्ति की पहचान दयाराम सिपाही ने

मुजजिम प्रेमसिंह के रूप में की थी। उक्त गवाह अपनी जिरह में यह कहता है कि वह भी मुलजिम को पहले से जानता है, जो गश्त के कारण जानता है, जबकि जब्ती के मौतबिर पी.डब्ल्यू–1 जगदीशराम व पी.डब्ल्यू–2 दयाराम दोनों सिपाही है, अपने मुख्य परीक्षण में कहते है कि भागने वाले व्यक्ति की पहचान दयाराम सिपाही ने की थी। इस प्रकार उपरोक्त दोनों गवाहान ने अपने बयानों में भागने वाले व्यक्ति की पहचान सिपाही दयाराम द्वारा करना बताया है, लेकिन दयाराम पी.डब्ल्यू–2 अपनी जिरह में यह कहता है कि वह वक्त घटना जीप में पीछे बैठा था और उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण में बताये गये कथनों के अनुसार मुलजिम सामने से आ रहा था और सामने ही वापिस भाग गया, जिसका इस गवाह द्वारा पीछा किया गया। इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी बताया है कि उसने भागने वाले व्यक्ति को पीछे से देखा था। मुलजिम प्रेमसिंह को वह पहले से जानता है, क्योंकि वह उसका बीट क्षेत्र है, इसलिये वह जाता रहता है। उसे याद नहीं कि उसके बीट क्षेत्र में कितने मुलजिम है, उसके बीट क्षेत्र के सभी मुलजिमान के नाम, पिता का नाम व पता उसे याद नहीं है। इस प्रकार अभियोजन की कहानी के अनुसार मौके से भागने वाले व्यक्ति को दयाराम सिपाही ने पहचाना था, लेकिन उक्त दयाराम सिपाही ने अपनी जिरह में यह बताया है कि वह घटना के वक्त जीप में पीछे बैठा था और घटना शाम 6 बजे की है और मुलजिम जीप के सामने की तरफ से आया और सामने के तरफ ही भाग गया, जिसका पीछा किया और भागते हुए मुलजिम को उसने पीछे से देखा था। इसके अलावा यह गवाह अपनी जिरह में यह बताने में असफल रहा है कि वह अपने बीट क्षेत्र में किन किन मुलजिमान को नाम, पिता के नाम व पते से पहचानता है, उसे याद नहीं है। इसके अलावा मुलजिम के पहचान के संबंध में स्वयं जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–3 नरपतसिंह अपनी जिरह में कहता है कि वह भी मुलजिम को पहले से जानता था, जबकि उक्त जब्ती अधिकारी ने अपने पुलिस बयानों में घटना की किसी प्रकार से कोई ताईद नहीं की है न ही मुलजिम की पहचान की ताईद करता है और रिपोर्ट प्रदर्शपी–5 व फर्द जब्ती प्रदर्शपी–1 में भी वक्त घटना मुलजिम को दयाराम सिपाही द्वारा ही पहचानना बताया है, न कि उसके स्वयं के द्वारा।

12– इसके अलावा जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने मौके पर बरामद शराब की दोनों बोतलों में से 1–1 पव्वा नमूना सेम्पल रासायनिक जॉच हेतु लेकर उन पर मार्क ए व बी अंकित किये थे, लेकिन फर्द जब्ती प्रदर्शपी–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना सेम्पल पर मार्क ए व बी अंकित किया, उसका कोई हवाला फर्द जब्ती प्रदर्शपी–1 व घटना की एफ.आई.आर प्रदर्शपी–5 में नहीं है, न ही जब्ती के तुरन्त बाद माल मालखाना में जमा करवाया गया, जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया गया है, उस मालखाना रजिस्टर की प्रति को प्रदर्शपी–7 के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, उसमें भी इस बात का हवाला नहीं है कि सेम्पल पर मार्क डाले गये थे। गवाह पी.डब्ल्यू–3 नरपतसिंह जो कि एफआईआर कर्ता है, ने अपनी जिरह में यह बताया है कि जब उसने फर्दो पर हस्ताक्षर किये, तब उसमें कोई काटछांट नहीं थी, न ही मालखाना रजिस्टर पर कोई काटछांट थी, जबकि फर्द जब्ती प्रदर्शपी–1, नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 व मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्शपी–7 की सभी फर्दो में 01 बोतले को काटकर 02 बोतल किया गया है, जिस पर किसी प्राधिकृत अधिकारी के लघु हस्ताक्षर नहीं है। जबकि जब गवाह पी.डब्लयू–3 नरपतसिंह से जिरह की गई, तो उसने अपनी जिरह में बताया है कि उस दिन अन्य कोई प्रकरण नहीं बनाया था। इसके अलावा पी.डब्ल्यू–2 दयाराम अपनी जिरह में कहता है कि मालखाना फर्द नरपतसिंह की कलमी है, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू–3 नरपतसिंह अपनी जिरह में कहता है कि उक्त फर्द उसकी कलमी नहीं होकर हरिसिंह की कलमी है। इस प्रकार वक्त घटना मालखाना इन्चार्ज पी.डब्ल्यू–3 नरपतसिंह जो कि अपनी मुख्य परीक्षा में कहता है कि उसी दिन मालखाना जमा किया गया था, ऐसी परिस्थिति में उक्त मालखाना की फर्द प्रदर्शपी–7 जो कि घटना के दिन ही बनाई गई है, वह मालखाना इन्चार्ज नरपतसिंह की कलमी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इन सभी परिस्थितियों में घटनास्थल पर मुलजिम के कब्जे से दो बोतल हथकड शराब बरामद होने से सन्देह उत्पन्न होता है।

13– अभियोजन की कहानी के अनुसार वक्त जब्ती वह मौके पर पहुॅचे तो वाहन में कुल 04 व्यक्ति थे और सामने से मुलजिम शराब की बोतले लेकर

आ रहा था, जो उनकी गाडी को देखकर भाग गया, जबकि नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 में इस बात का हवाला नहीं है कि मुलजिम किस तरफ से किस तरफ भाग और ओझल हो गया और न ही इस बात का हवाला है कि जाब्ते ने कहा तक उसका पीछा किया। अभियोजन गवाह की जिरह से यह बात सामने आती है कि घटनास्थल भीडभाड वाला इलाका है, फिर भी जब्ती अधिकारी ने फर्द जब्ती की फर्द में न तो स्वतन्त्र गवाह बनाये है, न ही इस बात का हवाला दिया कि उसने किन किन व्यक्तियों को गवाह बनने का कहा और किसके मना किया। नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटनास्थल के सामने मोहन जी के किराणे का केबिन है और घटनास्थल भीडभाड वाला इलाका है, फिर भी अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–5 महेन्द्रसिंह ने उक्त गवाह मोहन जिसका कि घटनास्थल पर किराणे का केबिन है, से कोई पूछताछ नहीं की और न ही उसके बयान लिये है। अभियोजन के गवाहान की जिरह में ऐसा कोई तथ्य भी नहीं आया है कि वक्त घटना उक्त केबिन बंद हो और न ही इस आशय का फर्द जब्ती प्रदर्शपी–1 व नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 में कोई हवाला ही है।

14– उपरोक्त विवेचन से घटनास्थल पर गवाह दयाराम पी. डब्ल्यू–2 द्वारा अभियुक्त की पहचान करने का तथ्य सन्देहास्पद प्रकट होता है। प्रकरण में बरामदगी साबित नहीं है, क्योंकि बरामदगी के कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। मालखाना न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है और जो सेम्पल लिये है, उस पर मार्क ए व बी अंकित करने को लेकर विरोधाभास है।

15– अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। न्यायालय के मतानुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित मानने में सारभूत तथ्यात्मक व विधिक भूल की है, जिससे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थी–अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

16– परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

17– परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह पुत्र भॅवरलाल द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–8, जोधपुर महानगर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या–659 / 2021 (एन.सी.वी नम्बर 194 / 2016) बअनवान राजस्थान राज्य बनाम प्रेमसिंह में पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 03.03.2025 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी–अभियुक्त प्रेमसिंह पुत्र भॅवरलाल, निवासी नीलकण्ठ महादेव नगर, निम्बा निबडी, मण्डोर, वार्ड नम्बर 57 पीएस मण्डोर, जोधपुर को धारा 16 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी–अभियुक्त के अपील के दौरान लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

18– अपीलार्थी–अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत छः माह की अवधि के लिए बीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की प्रतिभूति इस न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय के प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें कि यदि इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की जाती है, तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित होती रहेगी।

19– प्रकरण में जब्तशुदा हथकड शराब मय सेम्पल बाद गुजरने म्याद अपील नष्ट किये जावे।

20– विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब भिजवाया जावे।

(राजकुमार चौहान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–3
जोधपुर महानगर।

21– निर्णय / आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजकुमार चौहान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–3
जोधपुर महानगर।